

नीलामी सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात के आदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात परिसर स्थित माती के पूर्वोत्तर दिशा में स्थित **वाहन स्टैण्ड** की वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 21.02.2026 तक कार्यालय समय में नजारत अनुभाग में आवेदन जमा करा सकेंगे तथा दिनांक- 25.02.2026 को समय 4.30 बजे जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के मीटिंग हॉल में **बन्द निविदा के आधार पर** समिति के समक्ष सम्पन्न करायी जाएगी।

नीलामी की शर्तें व नियम

- 1 नीलामी हेतु आवेदन फॉर्म नजारत अनुभाग से दिनांक 19.02.2026 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 2 इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त वाहन स्टैण्ड की स्थिति एवं क्षेत्रफल का निरीक्षण केन्द्रीय नाजिर को पूर्व सूचना के उपरान्त कर सकते हैं।
- 3 प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना हैसियत प्रमाण पत्र केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात को प्रस्तुत करना होगा।
- 4 जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के वाहन स्टैण्ड, का उपयोग केवल उपरोक्त के लिए किया जायेगा किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।
- 5 जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के वाहन स्टैण्ड, को ठेके पर उठाने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को आवेदन प्रस्तुत करते समय **30000/- रुपये** का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। जो माननीय जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात के नाम देय होगा।
- 6 आवेदन फॉर्म के साथ उपरोक्त धनराशि की डी0डी0 जमा करनी होगी। डी0डी0 न होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 7 प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय ने दण्डित न किया हो तथा उसका कोई सिविल या दाण्डिक वाद जनपद न्यायालय कानपुर देहात में लम्बित नहीं होना चाहिए। इस बावत अपना नोटरी शपथपत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
- 8 स्वीकृति के उपरान्त निविदाकर्ता को उक्त राशि का चौथाई तुरन्त जमा करना होगा, और शेष धनराशि 01.03.2026 तक जमा करना होगा। डी0डी0 की धनराशि कुल राशि में समायोजित की जाएगी।
- 9 स्वीकृति के उपरान्त भागीदार जिसकी निविदा स्वीकृत होगी, के द्वारा स्वीकृत ठेके की 1/4 धनराशि तुरन्त एकमुश्त जमा नहीं करने पर उसकी डी0डी0 की राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः जब्त समझी जाएगी।
- 10 वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत नीलामी धनराशि मु0 720000/- के 10 प्रतिशत बढ़ोतरी के उपरान्त बन्द निविदा **792000/-** से अधिक होनी चाहिए।
- 11 नीलामी की अन्तिम स्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात महोदय द्वारा की जाएगी।
- 12 नीलामी प्रक्रिया बिना कोई कारण बताए स्थगित या अस्वीकृत माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात द्वारा की जा सकती है।
- 13 उपरोक्त वाहन स्टैण्ड के उपयोग की अवधि दिनांक-31.03.2027 को स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उसके बाद तुरन्त सम्बन्धित अध्यासी द्वारा उपरोक्त का अध्यासन केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात को हस्तगत किया जायेगा।

सूचना आज दिनांक-09.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

(सुरेन्द्र सिंह)

अध्यक्ष नीलामी समिति

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोट सं015
कानपुर देहात

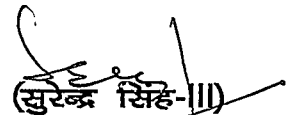
नीलामी सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात के आदेशानुपालन में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायिक अधिकारी आवासीय परिसर स्थित 120 अमरुद के वृक्षों की फसल को वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु ठेके पर उठाये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 21.02.2026 तक कार्यालय समय में नजारात अनुभाग में आवेदन जमा करा सकेंगे तथा दिनांक-25.02.2026 को समय 4.30 बजे जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के मीटिंग हॉल में बन्द निविदा के आधार पर समिति के समक्ष सम्पन्न करायी जाएगी।

नीलामी की नियम व शर्तें

- 1 नीलामी हेतु आवेदन फार्म नजारात अनुभाग से दिनांक 19.02.2026 तक प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन प्रस्तुत करते समय 8000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। जो माननीय जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात के नाम देय होगा।
- 2 उपरोक्त 120 पेड फलदार अमरुद की निविदा स्वीकृत होने की दशा में निविदादाता को उक्त राशि का चौथाई तुरन्त जमा करना होगा, और शेष धनराशि 01.03.2026 तक नजारात अनुभाग में कैशियर के पास जमा करानी होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत नीलामी धनराशि मु0 30000/- के 10 प्रतिशत बढोतरी के उपरान्त बन्द निविदा 33000/- से अधिक होनी चाहिए।
- 3 प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय ने दण्डित न किया हो तथा उसका कोई सिविल या दाण्डिक वाद जनपद न्यायालय कानपुर देहात में लम्बित नहीं होना चाहिए। इस बावत अपना नोटरी शपथपत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
- 4 उपरोक्त बाग का निरीक्षण केन्द्रीय नाजिर को पूर्व सूचना के उपरांत किया जा सकता है।
- 5 स्वीकृति के उपरांत भागीदार जिसकी निविदा स्वीकृत होगी, के द्वारा स्वीकृत नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि उपरोक्तानुसार जमा नहीं करने पर उसकी जमानत राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः जब्त समझी जाएगी।
- 6 नीलामी की अन्तिम स्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा की जाएगी।
- 7 नीलामी बिना कोई कारण बताए स्थगित या अस्वीकृत भी की जा सकती है।
- 8 उपरोक्त 120 पेड फलदार अमरुद की फसल के उपयोग की अवधि दिनांक 31.03.2027 को स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा तुरन्त बाद उक्त अध्यासन केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात को हस्तगत किया जाएगा।

सूचना आज दिनांक 09.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।


(सुरेंद्र सिंह-III)

अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं015
कानपुर देहात

नीलामी सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात के आदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात परिसर स्थित माती के दक्षिणी-पश्चिमी दिशा में स्थित **जलपान गृह** की वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 21.02.2026 तक कार्यालय समय में नजारात अनुभाग में आवेदन जमा करा सकेंगे तथा दिनांक- 25.02.2026 को समय 4.30 बजे जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के मीटिंग हॉल में **बन्द निविदा के आधार** पर समिति के समक्ष सम्पन्न करायी जाएगी।

नीलामी की शर्तें व नियम

- 1 नीलामी हेतु आवेदन फार्म नजारात अनुभाग से दिनांक 19.02.2026 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 2 इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त जलपान गृह की स्थिति एवं क्षेत्रफल का निरीक्षण केन्द्रीय नाजिर को पूर्व सूचना के उपरांत कर सकते हैं।
- 3 प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना हैसियत प्रमाण पत्र केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात को प्रस्तुत करना होगा।
- 4 जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के जलपान गृह का उपयोग केवल उपरोक्त के लिए किया जायेगा किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।
- 5 जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के जलपान गृह को ठेके पर उठाने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को आवेदन प्रस्तुत करते समय **20000/- रुपये** का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। जो माननीय जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात के नाम देय होगा।
- 6 आवेदन फॉर्म के साथ उपरोक्त धनराशि की डी0डी0 जमा करनी होगी। डी0डी0 न होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 7 प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय ने दण्डित न किया हो तथा उसका कोई सिविल या दाण्डिक मुकदमा जनपद न्यायालय कानपुर देहात में लम्बित नहीं होना चाहिए। इस बावत अपना नोटरी शपथपत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
- 8 स्वीकृति के उपरान्त निविदा कर्ता को उक्त राशि का चौथाई तुरन्त जमा करना होगा, और शेष धनराशि 01.03.2026 तक जमा करना होगा। डी0डी0 की धनराशि कुल राशि में समायोजित की जाएगी।
- 9 जलपान गृह हेतु इच्छुक व्यक्तियों को खाद्य लाईसेन्स भी प्रस्तुत करना होगा।
- 10 स्वीकृति के उपरान्त भागीदार जिसकी निविदा स्वीकृत होगी, के द्वारा स्वीकृत ठेके की 1/4 धनराशि तुरन्त एकमुश्त जमा नहीं करने पर उसकी डी0डी0 की राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः जब्त समझी जाएगी।
- 11 वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत नीलामी धनराशि मु0 190000/- के 10 प्रतिशत बढोतरी के उपरान्त बन्द निविदा **209000/-** से अधिक होनी चाहिए।
- 12 नीलामी की अन्तिम स्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात महोदय द्वारा की जाएगी।
- 13 नीलामी प्रक्रिया बिना कोई कारण बताए स्थगित या अस्वीकृत माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात द्वारा की जा सकती है।
- 14 उपरोक्त जलपान गृह के उपयोग की अवधि दिनांक-31.03.2027 को स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उसके बाद तुरन्त सम्बन्धित अध्यासी द्वारा उपरोक्त का अध्यासन केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात को हस्तगत किया जायेगा।

सूचना आज दिनांक-09.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

(सुरेन्द्र सिंह, II)

अध्यक्ष नीलामी समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात सं015

कानपुर देहात

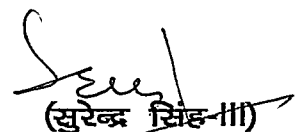
नीलामी सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात के आदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात परिसर स्थित माती के पूर्वोत्तर दिशा में स्थित **कम्प्यूटर टाईपिंग दुकान** की वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 21.02.2026 तक कार्यालय समय में नजारात अनुभाग में आवेदन जमा करा सकेंगे तथा दिनांक- 25.02.2026 को समय 4.30 बजे जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के मीटिंग हॉल में **बन्द निविदा के आधार** पर समिति के समक्ष सम्पन्न करायी जाएगी।

नीलामी की शर्तें व नियम

- 1 नीलामी हेतु आवेदन फार्म नजारात अनुभाग से दिनांक 19.02.2026 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 2 इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त कम्प्यूटर टाईपिंग दुकान की स्थिति एवं क्षेत्रफल का निरीक्षण केन्द्रीय नाजिर को पूर्व सूचना के उपरांत कर सकते हैं।
- 3 प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना हैसियत प्रमाण पत्र केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात को प्रस्तुत करना होगा।
- 4 जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के कम्प्यूटर टाईपिंग दुकान का उपयोग केवल उपरोक्त के लिए किया जायेगा किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।
- 5 जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के कम्प्यूटर टाईपिंग दुकान को ठेके पर उठाने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को आवेदन प्रस्तुत करते समय **10000/- रुपये** का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। जो माननीय जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात के नाम देय होगा।
- 6 आवेदन फॉर्म के साथ उपरोक्त धनराशि की डी0डी0 जमा करनी होगी। डी0डी0 न होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 7 प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय ने दण्डित न किया हो तथा उसका कोई सिविल या दण्डिक वाद जनपद न्यायालय कानपुर देहात में लम्बित नहीं होना चाहिए। इस बावत अपना नोटरी शपथपत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
- 8 स्वीकृति के उपरान्त बोलीकर्ता को उक्त राशि का चौथाई तुरन्त जमा करना होगा, और शेष धनराशि 01.03.2026 तक जमा करना होगा। डी0डी0 की धनराशि कुल राशि में समायोजित की जाएगी।
- 9 स्वीकृति के उपरान्त भागीदार जिसकी बोली स्वीकृत होगी, के द्वारा स्वीकृत ठेके की 1/4 धनराशि तुरन्त एकमुश्त जमा नहीं करने पर उसकी डी0डी0 की राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः जब्त समझी जाएगी।
- 12 कम्प्यूटर टाईपिंग दुकान की वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत नीलामी धनराशि मु0 50000/- के 10 प्रतिशत बढ़ोतरी के उपरान्त बन्द निविदा **55000/-** से अधिक होनी चाहिए।
- 11 नीलामी की अन्तिम स्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात महोदय द्वारा की जाएगी।
- 12 नीलामी प्रक्रिया बिना कोई कारण बताए स्थगित या अस्वीकृत माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात द्वारा की जा सकती है।
- 13 उपरोक्त कम्प्यूटर टाईपिंग दुकान के उपयोग की अवधि दिनांक-31.03.2027 को स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उसके बाद तुरन्त सम्बन्धित अध्यासी द्वारा उपरोक्त का अध्यासन केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात को हस्तगत किया जायेगा।

सूचना आज दिनांक-09.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।


(सुरेन्द्र सिंह-III)

अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं015
कानपुर देहात

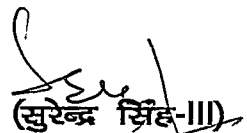
नीलामी सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात के आदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात परिसर स्थित माती के पूर्वोत्तर दिशा में स्थित **फोटोकॉपी दुकान** की वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 21.02.2026 तक कार्यालय समय में नजारात अनुभाग में आवेदन जमा करा सकेंगे तथा दिनांक- 25.02.2026 को समय 4.30 बजे जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के मीटिंग हॉल में **बन्द निविदा के आधार** पर समिति के समक्ष सम्पन्न करायी जाएगी।

नीलामी की शर्तें व नियम

- 1 नीलामी हेतु आवेदन फार्म नजारात अनुभाग से दिनांक 19.02.2025 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 2 इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त फोटोकॉपी दुकान की स्थिति एवं क्षेत्रफल का निरीक्षण केन्द्रीय नाजिर को पूर्व सूचना के उपरांत कर सकते हैं।
- 3 प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना हैसियत प्रमाण पत्र केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात को प्रस्तुत करना होगा।
- 4 जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के फोटोकॉपी दुकान का उपयोग केवल उपरोक्त के लिए किया जायेगा किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।
- 5 जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के फोटोकॉपी दुकान को ठेके पर उठाने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को आवेदन प्रस्तुत करते समय **10000/- रुपये** का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। जो माननीय जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात के नाम देय होगा।
- 6 आवेदन फॉर्म के साथ उपरोक्त धनराशि की डी0डी0 जमा करनी होगी। डी0डी0 न होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 7 प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय ने दण्डित न किया हो तथा उसका कोई सिविल या दण्डिक वाद जनपद न्यायालय कानपुर देहात में लम्बित नहीं होना चाहिए। इस बावत अपना नोटरी शपथपत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
- 8 स्वीकृति के उपरान्त बोलीकर्ता को उक्त राशि का चौथाई तुरन्त जमा करना होगा, और शेष धनराशि 01.03.2026 तक जमा करना होगा। डी0डी0 की धनराशि कुल राशि में समायोजित की जाएगी।
- 9 स्वीकृति के उपरान्त भागीदार जिसकी बोली स्वीकृत होगी, के द्वारा स्वीकृत ठेके की 1/4 धनराशि तुरन्त एकमुश्त जमा नहीं करने पर उसकी डी0डी0 की राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः जब्त समझी जाएगी।
- 12 फोटोकॉपी दुकान की वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत नीलामी धनराशि मु0 65000/- के 10 प्रतिशत बढोतरी के उपरान्त बन्द निविदा **71500/-** से अधिक होनी चाहिए।
- 11 नीलामी की अन्तिम स्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात महोदय द्वारा की जाएगी।
- 12 नीलामी प्रक्रिया बिना कोई कारण बताए स्थगित या अस्वीकृत माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात द्वारा की जा सकती है।
- 13 उपरोक्त फोटोकॉपी दुकान के उपयोग की अवधि दिनांक-31.03.2027 को स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उसके बाद तुरन्त सम्बन्धित अध्यासी द्वारा उपरोक्त का अध्यासन केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात को हस्तगत किया जायेगा।

सूचना आज दिनांक-09.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।


(सुरेन्द्र सिंह-III)

अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कीर्ट सि015
कानपुर देहात

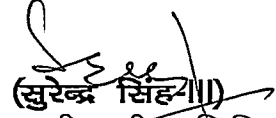
नीलामी सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात के आदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात परिसर स्थित माती के पूर्वोत्तर दिशा में स्थित **लेखन सामग्री दुकान** की वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 21.02.2026 तक कार्यालय समय में नजारेत अनुभाग में आवेदन जमा करा सकेंगे तथा दिनांक- 25.02.2026 को समय 4.30 बजे जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के मीटिंग हॉल में **बन्द निविदा के आधार** पर समिति के समक्ष सम्पन्न करायी जाएगी।

नीलामी की शर्तें व नियम

- 1 नीलामी हेतु आवेदन फार्म नजारेत अनुभाग से दिनांक 19.02.2026 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 2 इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त लेखन सामग्री दुकान की स्थिति एवं क्षेत्रफल का निरीक्षण केन्द्रीय नाजिर को पूर्व सूचना के उपरान्त कर सकते हैं।
- 3 प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना हैसियत प्रमाण पत्र केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात को प्रस्तुत करना होगा।
- 4 जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के लेखन सामग्री दुकान का उपयोग केवल उपरोक्त के लिए किया जायेगा किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।
- 5 जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के लेखन सामग्री दुकान को ठेके पर उठाने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को आवेदन प्रस्तुत करते समय **10000/- रुपये** का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। जो माननीय जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात के नाम देय होगा।
- 6 आवेदन फॉर्म के साथ उपरोक्त धनराशि की डी0डी0 जमा करनी होगी। डी0डी0 न होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 7 प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय ने दण्डित न किया हो तथा उसका कोई सिविल या दाण्डिक वाद जनपद न्यायालय कानपुर देहात में लम्बित नहीं होना चाहिए। इस बावत अपना नोटरी शपथपत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
- 8 स्वीकृति के उपरान्त निविदाकर्ता को उक्त राशि का चौथाई तुरन्त जमा करना होगा, और शेष धनराशि 01.03.2026 तक जमा करना होगा। डी0डी0 की धनराशि कुल राशि में समायोजित की जाएगी।
- 9 स्वीकृति के उपरान्त भागीदार जिसकी निविदा स्वीकृत होगी, के द्वारा स्वीकृत ठेके की 1/4 धनराशि तुरन्त एकमुश्त जमा नहीं करने पर उसकी डी0डी0 की राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः जब्त समझी जाएगी।
- 12 लेखन सामग्री दुकान वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत नीलामी धनराशि मु0 15000/- के 10 प्रतिशत बढोतरी के उपरान्त बन्द निविदा **16500/-** से अधिक होनी चाहिए।
- 11 नीलामी की अन्तिम स्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात महोदय द्वारा की जाएगी।
- 12 नीलामी प्रक्रिया बिना कोई कारण बताए स्थगित या अस्वीकृत माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात द्वारा की जा सकती है।
- 13 उपरोक्त लेखन सामग्री दुकान के उपयोग की अवधि दिनांक-31.03.2027 को स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उसके बाद तुरन्त सम्बन्धित अध्यासी द्वारा उपरोक्त का अध्यासन केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात को हस्तगत किया जायेगा।

सूचना आज दिनांक-09.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।


(सुरेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष नीलामी समिति,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्टे सं015
कानपुर देहात